know whether the repairs have been completed and whether the Government can assure the nation that there is no further danger to this project. Secondly, there is a great controversy, at present, about the height of the dam. I would like to know whether you are constructing the dam. taking into consideration that the height would be 83.3 metres. These are my two questions.

SHRI P. V. RANGAYYA NAIDU: Regarding the damage referred to by the hon. Member, I may state that during 1994, there had been some damage to the stilting basin, which is located on the down stream of the dam. The stilting basin is separated from the dam section of the construction joint and the stability of the dam section is independent of the stilting basin. The repairs have almost been completed and in a couple of months the remaining part of the repairs will be completed. We will ensure that there is no further damage...

श्री जनेश्वर मिश्र: लास्ट मानसून में डैमेज हुआ।

SHRI P. V RANGAYYA NAIDU: During the last damage the stilting basin was damaged. The work is going on and it will be completed within a couple of months and there will be no further damage in this regard in the coming monsoon.

DR. MURLI MANOHAR JOSHI: Will the work be completed before the monsoon?

SHRI P. V. RANGAYYA NAIDU: Yes, Sir, it will be completed by the next monsoon. Will you please repeat your question regarding the height of the dam?

SHRI GOPALRAO VITHALRAO PATIL: The construction work is going on taking into consideration 80.3 metres height or 83.3 metres height?

SHRI P. V. RANGAYYA NAIDU: It is 80.3 metres.

केन्द्रीय विद्यालय संगठन के कर्मचारियों की मांगों के संबंध में द्विपक्षीय वार्ता

*622. श्री सुन्दर सिंह भंडारी:†
श्री शिवचरण सिंह:

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केंद्रीय विद्यालय संगठन कर्मचारी संघों की संयुक्त संघर्ष समिति की 25-सूत्री मांगों के संबंध में विचार-विमर्श करने हेतु सरकार द्विपक्षीय वार्ता करने का विचार रखती है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या इस संबंध में कोई द्विपक्षीय वार्ता आयोजित की गई है; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम रहे और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग और संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) केन्द्रीय विद्यालय संगठन कर्मचारी संघ की संयुक्त संघर्ष समिति द्वारा जनवरी, 1994 में की गयी मांगों पर केन्द्रीय विद्यालय संगठन के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और आयुक्त के स्तर पर समय-समय पर विचार किया गया है और अधिकांश मांगें पहले ही स्वीकृत की जा चुकी हैं।

---

† सभा में यह प्रश्न श्री सुन्दर सिंह भंडारी द्वारा पूछा गया।

श्री सुन्दर सिंह भंडारी : सभापति जी, सरकार ने माना है कि जनवरी 94 में 25 डिमांडस पेश की गई। आपने 16 डिमांड्स मानने की बात कही है, 6 आपने रिजेक्ट की हैं और 3 डिमांड्स पर अभी विचार उस समय से हो रहा है। अब इन तीनों डिमांड्स के बारे में क्या फैसला हुआ है आज तक क्योंकि ये डिमांड्स हैं

Extension of CGHS facilities to all employees of the Kendriya Vidyalaya Sangathan, introduction of new elective subjects at 'plus two' stage, posting of Group D employees at L.D.C. after they acquire some minimum marks in the completitive examination.

इन तीनों मांगों पर जिन पर आपने कहा है कि हम अभी तक फैसला नहीं ले पाए, आज उसकी क्या स्थिति है ? कौन सी मुश्किलें हैं इन मांगों को स्वीकार करने में और इन मांगों को यदि सरकार स्वीकार कर ले तो बहुत सी समस्याओं का समाधान हो सकता है । मैं यह जानना चाहूंगा कि इन बचे हुए तीनों प्रश्नों पर अभी तक क्या फैसला हुआ है ?

कुमारी शैलजा : सर, मैं ऑनरेबल मैम्बर को बताना चाहूंगी कि सिर्फ एक डिमांड जिस पर फैसला नहीं हुआ है, जो अंडर कंसिडरेशन है और वह है

Introduction of five-day week in Kendriya Vidyalayas.

तो इसको मैं रेकमांड कर रही हूं और हम इस पर डिसीजन भी बाद में लिया जाएगा। जहां तक इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू इलेक्टिव सब्जेक्ट्स की आपने बात की, उसमें हमने ऐक्शन ले लिया है और हम कम्प्यूटर साइंस इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं

as optional elective subject at 'plus two' stage in 20 selected Government-funded Kendriya Vidyalayas.

और दो जो बातें आपने और कहीं कि अंडर कंसिडरेशन हैं, वे अंडर कंसिडरेशन नहीं हैं। उनका रेकमेंडेशन किया गया और वे ऐक्सेप्टेबल नहीं पाई गई।

श्री सुन्दर सिंह भंडारी : ग्रुप डी इम्प्लाइज और सी.जी.एच.एस. के बारे में ?

कुमारी शैलजा : मैं उन्हीं पर आ रही हूं। दो बातें आपने और कहीं पोस्टिंग आफ ग्रुप "डी" इम्प्लॉइज और सी.जी.एच.एस. के बारे में, तो जहां तक ग्रुप "डी" इम्प्लॉइज की बात है, यह हमने डिपार्टमेंट आफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग से कंसल्ट किया और उन्होंने कहा कि ग्रुप "डी" इम्प्लाइज जिनकी तीन साल की सर्विस है, उनको एज-रिलैक्सेशन दिया जा सकता है चालीस साल तक । इससे ज्यादा कंसेशन नहीं किया जा सकता। जो सी.जी.एच. एस. की बात कही है, हमने सी.जी.एच. एस. डायरेक्टोरेट से कंसल्ट किया इसमें और उन्होंने कहा है कि यह वे नहीं कर पाएंगे क्योंकि रिसोर्सेज का कंसट्रेंट है, इसलिए यह नहीं लिया जा सकता है।

श्री सुन्दर सिंह भंडारी: जो मांग अस्वीकार की गई है उसमें ट्रांसफर कमेटी में इम्पलाईज के रिप्रजन्टेटिव्स को भी शामिल किया जाए, यह एक मांग थी और इस मांग की वजह यह रही है कि ट्रांसफर एक ल्यूक्रेटिव प्रोफेशन बन गया है । अगर टीचर्स के रिप्रजन्टेटिव्स भी उस कमेटी में रहेंगे तो शायद इस भ्रष्टाचार को रोकने में मदद मिल करती हैं । इस सवाल पर और बाकी बातों में उनको अभी भी असन्तोष है । आपने ये बातें आफिसर कन्सर्न पर टाल दी हैं। जब पहली बार मंत्री महोदय उन के प्रतिनिधियों से मिल चुके हैं तो फिर से उनके प्रतिनधियों से मिलकर मामला हल करने में आपको क्या कठिनाई उत्पन्न हो रही है ?

कुमारी शैलजा : सर मैं बताना चाहूंगी कि सरकार की तरफ से पूरा कोआपरेशन करने की कोशिश की जाती है। मंत्री महोदय पहले मिल चके हैं । यह ज्वाइंट ऐक्शन कमेटी है । लेकिन यह रेकग्नाज्ड मशीनरी नहीं है । फिर भी जितनी उनकी मांगें थी और यह सोचा गया कि अगर ग्रिवान्सेज हैं तो उनको हल करना चाहिए । इसीलिए इसको

This is not the right forum.

वह ज्वाइट कन्सलटेविट कमेटी एक मशीनरी है इसमें एसोसियेशन का रिप्रजन्टेशन है और उसमें इस तरह की सारी बातें सामने रखी जाती हैं । गवर्नमेंट ने अपनी विलिगनेस उनकी समस्याओं को हल करने के लिए दिखायी है । यह बात सही नहीं है कि सिर्फ आफिसर्स पर यह बात छोड़ दी गयी है । मंत्री जी उनसे मिले, दो एम०पी० रिप्रजन्टेटिव भी थे और सब बातों को एक्जामिन किया गया था । वे सब चीजें जो दूसरी डिपार्टमेंट की भी देखनी थी । कई चीजें

In consultation with them, we have arrived at these conclusions which I have placed before the hon. Member.

श्री सुन्दर सिंह भंडारी : भविष्य में कोई मीटिंग होगी, आपने इसकी संभावना से इंकार किया है । इसलिए मैं जानना चाहता हूं कि एक तरफा एटीट्यूड लेकर कर्मचारियों के सवालों को असंतोष के रूप में बदलते रहना यह कहां तक वाजिब है ?

कुमारी शैलजा : इसलिए मैंने बताया कि इसके लिए प्रोपर मैकेनिज्म ज्वाइंट कन्सलटेटिव मशीनरी है जिसमें समय-समय यह लिया जाता है जो मांगें इम्पलाईज की हैं उनको कैसे किया जाए । यह असली फोरम है । यह ज्वाइंट ऐक्शन कमेटी थी यह कोई एसोसियेशन नहीं है । लेकिन क्योंकि

The Government wanted to show its willingness to solve these grievances and other problems of the employees. That is why it was taken up. Otherwise, the correct forum is the Joint Consultative Machinery with which we hold meetings from time to time.

श्री सुन्दर सिंह भंडारी : ट्रांसफर कमेटी के बारे में मैंने कहा था । उसमें उनके रिप्रजन्टेटिव्स रखने की बात उसमें आपत्ति कहां है ?

कुमारी शैलजा : ऐसा इसलिए क्योंकि यह एडमिनिस्ट्रेटिव मामला है ।

श्रीमती चन्द्रकला पांडेय : सभापति महोदय मंत्री जी ने आपने लिखित उत्तर में यह बताया है कि उनकी सभी मांगें मान ली गई हैं । मंत्री महोदया ने अभी बताया कि केवल एक मांग नहीं मानी गई है बाकी सभी मांगें मान ली गई हैं । लेकिन मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदया से यह पूछना चाहती हूं कि इन मांगों में से अधिकांश अभी तक केवल कागजी और मौलिक हैं । स्वीकृत मांगों में से एक है कि केंद्रीय विद्यालयों में काम करने वाले चौकीदारों को जो 18 घंटे की ड्यूटी करनी पड़ती है उसको कम करके 8 घंटे कर दिया जाएगा और अधिक काम करने पर अधिक ड्यूटी करने पर उनको ओवर टाइम दिया जाएगा । आपने अपने उत्तर में कहा है कि प्रायः सभी मांगे मान ली गई हैं । तो मैं आपसे यह पूछना चाहती हूं कि क्या आपको मालूम है कि केंद्रीय विद्यालयों के आफिसरों ने आपसे सफेद मिथ्या कथन किया है । सच्चाई यह है कि आज भी उन्हें 18 घंटे ड्यूटी करनी पड़ती है और उनको कोई ओवर टाइम भी नहीं मिल रहा है । क्या आप इस बात की जानकारी करके इस सदन को वास्तविकता से अवगत करायेंगे और उनका शोषण न हो इसका यहां पर आश्वासन देंगी ?

मेरे प्रश्न का बी पार्ट यह है कि . .

MR. CHAIRMAN: Your question is over.

कुमारी शैलजा : सारी मांगे नहीं मानी गई हैं । जैसा मैंने पहले भी बताया कि 17 मांगे हमने मानी हैं और एक पेंडिंग है और 7 हैं जिनको नहीं माना जा सकता है यह मैंने बताया है ।

श्रीमती चन्द्रकला पांडेय : जो 16 मांगें मानी जा चुकी हैं यह उन मांगों में से एक है कि चौकीदारों के वर्किंग आवर्स ड्यूटी आवर्स कम किए जायेंगे ।

कुमारी शैलजा : अभी इसकी हम वर्क स्टडी कर रहे हैं मिनिस्ट्री में । तो उसके तहत इसको ले लिया जाएगा ।

श्रीमती चन्द्रकला पांडेय: वह 18 घंटे ड्यूटी क्यों करेंगे ?

श्रीमती मीरा दास: वह तो कानून के खिलाफ है अगर 18 घंटे ड्यूटी होती है।

कुमारी शैलजा : जहां तक ओवर-टाईम की बात है, वह तो ग्रप-डी को मिल ही रहा है जहां पर एंटाइटिल हैं।

श्रीमती चन्द्रकला पांडेय : चौकीदारों की 18 घंटे ड्यूटी क्यों होती है ?... (व्यवधान) उनके काम के 18 घंटे कम किए जाएंगे, क्या इसका आश्वासन देंगे ?

श्रीमती मीरा दास: कहंगे कि 10 घंटे सोते हैं ऐसा नहीं है ।

एक सम्मानित सदस्य : इसका जवाब आना चाहिए ।

MR. CHAIRMAN: Are they working for longer hours than they should under the rules?

कुमारी शैलजा : वह तो हम देख रहे हैं कि यह काम सच में हो रहा है। मिनिस्ट्री में यह वर्क स्टडी हम कर रहे हैं।

श्रीमती चन्द्रकला पांडेय : आठ घंटे से ज्यादा उनको काम नहीं करने दिया जाए, इसका आश्वासन दीजिए ।

(Interruptions).

MR. CHAIRMAN: Shri J. S. Raju.

SHRI J. S. RAJU: Sir, as a Patron of the Joint Action Committee of Kendriya Vidyalaya Employees' Associations, I had met the former Chairman on 1-1-1994 and the Vice-Chairman on 2-4-1994. But nothing substantial came out of it. The Minister has said that the Kendriya Vidyalaya Sangathan Employees' Association is not a recognised one. I want to submit that the Government should not reject the demands of the Association though it is not recognised. It is the duty of the Government to see the genuineness of the case. I would like to know whether the Minister is ready now to hold talks with the employees or would drive them to the path of agitation. Even now, there is a chance for the Government side to have a talk with the Association.

KUMARI SELJA: Sir, as I replied right in the beginning, it is only because of the willingness of the Government, we have met these people of the Joint Action Committee. As I said, there is a proper mechanism by which we look into the grievances. Only because the Government wants to solve the grievances, we have met all these people. And 17 demands have since been accepted.

MR. CHAIRMAN: Shri P. K. Samantaray. *(Interruptions)*. They are in dialogue with the employees.

SHRI J. S. RAJU: I just want to say this. The Government is always saying that all the demands of the Association are accepted.

KUMARI SELJA: I did not say that.

MR. CHAIRMAN: Some of the demands have been accepted.

SHRI J. S. RAJU: The demands raised have not been accepted. For example, the main demand is for a review of the wrongful practices indulged in in the recent recruitment of Primary Teachers, Trained Graduate Teachers, P. G. Teachers, Principals, etc., as also their posting. This is the first demand.

MR. CHAIRMAN: Mr. Samantaray, Please sit down. I will call you.

SHRI J. S. RAJU: But the stand of the KVS is that the select panel for direct recruitment will be notified in future, as and when fresh recruitment takes place in the regional offices and headquarters of KVS. This is to be implemented with the next recruitment. There is no connection between

the demand and the stand of the KVS. The stand of the Joint Action Committee is that the stand and assurance of the KVS do not relate to the demand at all. Nowhere does the demand refer to the notification of select panels. The action taken is irrelevant, meaningless and mischievous and it proves that the KVS is not at all serious about the charter of demands. That means, the JAC is right in holding that nothing has been accepted. The answer is not related to the demand. So I want some clarification from the hon. Minister.

MR. CHAIRMAN: Hon. Minister, have you anything to say?

KUMARI SELJA: Out of the demands which the Joint Action Committee gave us, the charter of demands, we accepted 16 demands. This, the notification of panels regarding recruitment of Primary Teachers, TGTs, etc. and their posting for 1993-94, was one of them. This was accepted. The demand for declaration of selct panels regarding direct recruitment before issuing posting orders was also accepted.

MR. CHAIRMAN: Shri Samantaray.

SHRI PRAVAT KUMAR SAMANTARAY: Sir, the Minister's relies to the main question and to the supplementaries thereafter raise two important questions. On the one hand, the Minister has replied that the Joint Consultative Machinery, which the Kendriya Vidyalaya Sangathan is having, is the right forum to redress the grievances of the teachers or the people working there. On the other hand, the Minister said that they had a discussion, and for that matter, the Government had a discussion, with some unrecognised associations. I would like to know, therefore, whether any criteria have been fixed by the Government to recognise the bodies, which are having a representative character in the Kendriya Vidyalaya Sangathan and, if so, whether the Government has recognised the existence of the Joint Consultative Machinery in the Kendriya Vidyalaya Sangathan or not. I would like to know whether the Government had any discussion in the Joint Consultative Machinery with those who are representing them. If there was no discussion, how is the Government going to redress the grievances of the workers or the teachers working under it? For your information, Sir, and for the information of the House, out of the 45,000 people, who are working under the Kendriya Vidyalaya Sangathan, 35,000 are teachers. Out of the 35,000 teachers, 25,000 are represented by the All India Kendriya Vidyalaya Teachers Associations. The Minister in her reply rightly said that they were not going to hold further discussion with this Joint Action Council. I would like to know whether you will be henceforth holding discussions with only recognised bodies or not. If it is so how are you going to redress the grievances and decide the fate of the employees by holding discussion with unrecognised bodies?

KUMARI SELJA: I agree with the hon. Member. The Joint Consultative Machinery is the recognised forum and the recognised associations are represented on that. This is the right forum. We have asked the Kendriya Vidyalaya Sangathan to hold another meeting of the JCM and to have consultations with these associations so that their grievances could be redressed.

*623. [*The questioners (Shri Amt Ram Jaiswal and Satya Prakash Malaviya) were absent. For answer vide col. 33 infra*]

*624. [*The questioner (Shri Gopalsinh G. Solanki) was absent. For answers vide col. 35 infra*]